राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–7) विभाग

कमांक 3(227) राज–7/2014

जयपुर दिनांक 14/7/26

परिपत्र

इस विभाग द्वारा पूर्व मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुकम में जारी परिपत्र दिनांक 19.05.2026 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत राजकीय भूमियों पर विद्यमान अतिकमण को हटाये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों के कम में प्रायः यह देखा जा रहा है कि उक्त निर्देशों की अनुपालना कठोरता से सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण माननीय न्यायालयों द्वारा निरंतर अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है एवं जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदारों को अतिकमण हटाये जाने के संबधं में निर्देशित किया जा रहा है।

अतः उक्त निर्देशों की निरन्तरता में एतद्द्वारा यह और स्पष्ट किया जाता है कि,

1 संबंधित अधिकारी अपने प्रशासनाधीन क्षेत्रों में अतिकमणों को चिन्हित करने एवं इन चिन्हित किये गये अतिकमणों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में विहित प्रकिया की पालना सुनिश्चित करते हुये प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे अतिकमणों को हटाये जाने के लिये किसी न्यायिक आदेश की प्रतीक्षा किया जाना आवश्यक नहीं है।

2 ऐसे प्रकरण जहां पूर्व में ही ऐसे अतिकमणों के संबंध में पक्षकारों द्वारा न्यायिक प्रकरण दर्ज करवाये जा चुके है, एवं माननीय न्यायालय द्वारा कोई अंतिम/अंतरिम आदेश अतिकमणों को हटाये जाने के बाबत प्रदान किया गया है, तो ऐसे प्रकरणों में उक्त अतिकमणों को सुनिश्चित करते हुये ऐसे अतिकमणों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालना रिपोर्ट माननीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3 ऐसे प्रकरण जहाँ न्यायिक आदेशों की पालना किया जाना विधितः संभव नहीं है, वहाँ विहित समयावधि में अपील किया जाना एवं स्थगन आदेश प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4 हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. बंदी प्रत्यक्षेकरण याचिका संख्या 282/2026, श्रीमती भंवरी देवी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2026 की पालना में तत्कालीन तहसीलदार डेह, जिला नागौर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये, इसी प्रकार डी.बी.सि.रि.या.सं. 16856/2019 रूपराज प्रजापति बनाम सरकार समक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 02.07.2026 के द्वारा तहसीलदार नादौती तथा संबंधित पटवारी को निलंबित किये जाने के आदेश पारित किये गये। ऐसी स्थिति को कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसे प्रकरण जहाँ माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण विशेष में उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को माननीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष रखने अथवा किसी बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये है, वहाँ माननीय न्यायालय में आवश्यक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही न्यायालय के ऐसे आदेशों को तत्काल संबंधित जिला कलक्टर एवं राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जाना भी सुनिश्चित करायेंगे।

एतद्द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना कठोरता से किया जाना सुनिश्चित करावें।

-sd-

(कैलाश चन्द्र कुमावत)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री जी.एस. गिल/श्री नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित (राज. उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर) को सूचनार्थ।
2 शासन संयुक्त/उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3/6/9) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3 संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
4 जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
5 निबंधक, राजस्व मण्डल अजमेर।
6 आयुक्त भू–प्रबंधक विभाग, जयपुर।
7 राजकीय अधिवक्ता श्री संजयराज पालीवाल/श्री वी.डी. घठाला (राज. उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर) को सूचनार्थ।
8 अतिरिक्त आयुक्त, खुदकाश्त एवं जागीर विभाग, जयपुर।
9 रक्षित पत्रावली।

14/7/2026

वरिष्ठ शासन उप सचिव